13-05-2023 पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के कार्यविभाजन पत्रक अनुसार प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

यह प्रकरण विशेष न्यायालय (विद्युत अधि.) लटेरी के न्यायालय से विधिवत् निराकरण हेतु इस नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक..19 के समक्ष प्राप्त।

परिवादी की ओर से अधिकृत नोडल अधिकारी श्री नीरज गुप्ता (सहायक प्रबन्धक म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. लि.लटेरी) उपस्थित।

अभियुक्त सहित श्री आर.के. मीना अधिवक्ता।

परिवादी की ओर से राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 विद्युत अधिनियम का पेश किया गया।

प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

परिवादी की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 का परिवाद पेश किया गया है, जो कि विचाराधीन है। परिवादी को अभियुक्त द्वारा विद्युत चोरी की राशि जमा करना व्यक्त किया गया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच की गयी। उक्त राजीनामा आवेदन पत्र स्वैच्छिक व विधिवत् होने से स्वीकार किया जाता है और राजीनामा के प्रभाव में आरोपी को धारा 135 विद्युत अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत–मुचलके उन्मोचित किये जाते है/पेश नहीं।

प्रकरण में जप्त संपत्ति कुछ नहीं है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज करने एवं अभिलेखागार में जमा किये जाने हेतु भेजा जावे।

सदस्य

पीठासीन अधिकारी
ने.लो.अदा.खण्डपीठ क.–.....